आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद संख्या –249/2019

विजय कुमार मिश्रा

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
17.04.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 12379/2022 में दिनांक–11.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, वैशाली के आदेश ज्ञापांक 741 दिनांक 27.08.2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है, जिस आदेश से समाहर्त्ता, वैशाली द्वारा अपीलकर्ता (श्री विजय कुमार मिश्रा) को सरकारी सेवा से बर्खास्त करते हुए भविष्य में इनके नियोजन पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का अंश निम्न प्रकार है :– **"Considering the rival submissions and in view of the limited prayer by the petitioner's counsel, pendency of the instant writ proceedings would serve no useful purpose. The same is disposed of with a direction to Respondent No. 3, the Commissioner, Tirhut Division, Muzaffarpur to dispose of the petitioner's appeal, if still pending, by a reasoned and speaking order in accordance with law within a period of four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order."** वाद का सारांश यह है कि श्री सुनील कुमार, पिता–श्री चुल्हाई साह द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के कार्यालय में श्री विजय कुमार मिश्रा, राजस्व कर्मचारी (अपीलकर्ता) के विरूद्ध शिकायत	

WEB COPY NOT OFFICIAL

आवेदन दिया गया। निगरानी थाना काण्ड सं0–87/2015 दिनांक 10.10.2015 धारा 07/08/13 (2) सह पठित धारा 13 (1)(डी0) भ्र0नि0 अधिनियम 1988 के प्राथमिकी अभ्युक्त श्री विजय कुमार मिश्रा, राजस्व कर्मचारी, अंचल–बिदुपुर के विरूद्ध अभियोजन चलाने हेतु पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक 2096 दिनांक 15.12.2015 द्वारा स्वीकृति की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 36 दिनांक 10.01.2016 द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही आदेश ज्ञापांक 186 दिनांक 15.02.2016 द्वारा श्री मिश्रा को निलंबित कर मुख्यालय, महुआ अनुमंडल निर्धारित किया गया। जिला पदाधिकारी, वैशाली के आदेश ज्ञापांक 419 दिनांक 05.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, बिदुपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री मिश्रा, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप निम्न है :–

(i) श्री सुनील कुमार, पिता–श्री चुल्हाई साह, ग्राम–दिलावरपुर गोवर्धन, टोले नान्हकचक, थाना–बिदुपुर के द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के कार्यालय में श्री विजय कुमार मिश्रा, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध आवेदन पत्र दिया गया।

(ii) श्री भीम सिंह, स0अ0नि0 के द्वारा श्री सुनील कुमार के आवेदन के आलोक में सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

(iii) निगरानी थाना कांड सं0–87/2015 दिनांक 10.10.2015 धारा 7/8/13 (2) सह पठित धारा 13 (1) डी0 भ्र0नि0 अधिनियम 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री विजय कुमार मिश्रा, राजस्व कर्मचारी, अंचल–बिदुपुर उक्त वाद में नामजद अभियुक्त है।

पुलिस अधिक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–2096 दिनांक 15.12.2015 के द्वारा इनके विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति आदेश की मांग की गई, जिसकी स्वीकृति आदेश ज्ञापांक 36 विधि दिनांक 07.01.2016 से दी जा चुकी है।

(iv) जिला पदाधिकारी, वैशाली के आदेश ज्ञापांक 166/स्था0 दिनांक 15.02.2016 से उक्त आरोप के आलोक में निलंबित है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

इनका आचरण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम के प्रतिकूल है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) श्रीमती कृष्णा देवी और इनके पुत्र श्री सुनील कुमार द्वारा दाखिल खारिज आवेदन दिनांक 27.07.2015 को समर्पित किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए रिश्वत की मांग नहीं की गयी। अपीलकर्ता द्वारा 23.09.2015 को ही रिपोर्ट समर्पित कर दिया गया जिस आधार पर दिनांक 25.09.2015 को उक्त म्यूटेशन आवेदन खारिज हो गया।

(ii) म्यूटेशन आवेदन खारिज होने के बाद श्री सुनिल कुमार द्वारा 28.09.2015 को अपीलकर्ता के विरूद्ध निगरानी थाना में आवेदन दिया गया।

(iii) अपीलकर्ता द्वारा दाखिल खारिज के संबंध में सही प्रतिवेदन दिया गया था।

(iv) अपीलकर्ता दिनांक 09.10.2013 को अंचलाधिकारी के आदेशानुसार ग्राम–मजलिसपुर नयाटोला से गंगा नदी में नहाने गये बालक छोटु कुमार के डूबने पर शव की खोज हेतु सुबह 10:00 बजे से शाम छः बजे तक गंगा तट पर उपस्थित था।

(v) संचालन पदाधिकारी द्वारा गवाहों का कोई बयान नहीं लिया और अपीलकर्ता द्वारा समर्पित साक्ष्यों पर विचार नहीं किया गया। और संचालन पदाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर जिला पदाधिकारी द्वारा बर्खास्त कर दिया गया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध निगरानी थाना में रिश्वत लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। अपीलकर्ता द्वारा 9000/–रूपया रिश्वत की राशि श्री सुनील कुमार से लेकर दलाल को दिया गया। दलाल ने रिश्वत की राशि एक अन्य राजस्व कर्मचारी उपेन्द्र मणि तिवारी को दे दिये। श्री मिश्रा भीड़ का फायदा उठाकर भाग गये। एक दलाल और उपेन्द्र मणि तिवारी पकड़ा गये। श्री मिश्रा पर घूस लेने का प्रमाणित आरोप है। अतएव जिला पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुकूल है। श्री मिश्रा का अपीलवाद खारिज होने योग्य है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध निगरानी थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी। प्रपत्र 'क' की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री मिश्रा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई का पूरा मौका देते हुए जाँच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, वैशाली को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में आरोप के प्रमाणित पाये जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। अपीलकर्ता से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा के जवाब पर विचारोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अपीलकर्ता पर श्री सुनील कुमार (शिकायतकर्ता) से रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है। सरकारी कार्यालय में किसी काम हेतु सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग करना या लेना गंभीर प्रकृति का कदाचार है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 की कंडिका 3 (1) में अंकित है कि :– ***हर सरकारी सेवक सदा***

(i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा,

(ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा, और

(iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

इस प्रकार श्री मिश्रा, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन किया गया है। यदि श्री मिश्रा को कठोरतम दंड नहीं दिया गया तो सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिसे रोक पाना संभंव नहीं होगा। अतएव जिला पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में पारित आदेश उचित है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL